न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 75/2018

अनवान :

1. संदीप पुत्र केसरा जाति गुर्जर निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. केसरा पुत्र शैतानसिंह जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. कलावती पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. गिरदावरी पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
5. भतेरी पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
6. सुनीता पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
7. एसबीबीजे (एसबीआई डाबडी) जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादी**
वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 6**
निर्णय **दिनांक :** 16-5-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा बुढेर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 56/55 के खसरा सं0 129 की 12.684 है0, खसरा सं0 134 की 3.832 है0, खसरा सं0 174 की 2.858 है0 कुल 19.374 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी केसरा के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 32/77 के खसरा सं0 242/2 की 1.517 है0 खसरा सं0 245/2 की 1.517 है0 कुल 3.034 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में भी प्रतिवादी केसरा के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि पहले वादी के दादा शैतानसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी केसरा के नाम से महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गई। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 हिन्दू है एवं वे हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होने के चलते वादभूमि में वादी का जन्म से हक एवं अधिकारी निहित है। प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि जो प्रतिवादी केसरा के नाम से दर्ज है वह वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् प्रत्येक को 1/3-1/3

सहायक कलक्टर

हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गया था तथा इसी अनुसार वादभूमि पर पक्षकारान की कब्जा काश्त चली आ रही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी तन्हा प्रतिवादी केसरा के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 व 8 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी संदीप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम बुढेर के खाता सं0 32/77 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम बुढेर के खाता सं0 56/55 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध (सैटलमेन्ट विभाग) ग्राम बुढेर सम्वत् 2019 प्रदर्श 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम बुढेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध (सैटलमेन्ट विभाग) ग्राम बुढेर सम्वत् 2019 प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा शैतानसिंह वल्द धोकलसिह के नाम से दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में केसरा के वारिसान में दो पुत्र संदीप, भजनलाल व चार पुत्रियां कलावती, गिरदावरी, भतेरी, सुनीता होना व इसके अलावा कोई जायज एवं कानूनी संतान नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बुढेर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 56/55 के खसरा सं0 129 की 12.684 है0, खसरा सं0 134 की 3.832 है0, खसरा सं0 174 की 2.858 है0 कुल 19.374 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी केसरा के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 32 [illegible]

बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 75/2018

अनवान :

1. संदीप पुत्र केसरा जाति गुर्जर निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. केसरा पुत्र शैतानसिंह जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. कलावती पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. गिरदावरी पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
5. भतेरी पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
6. सुनीता पुत्री केसरा जाति गुजर निवासी बुढेर तहसील भादरा।
7. एसबीबीजे (एसबीआई डाबडी) जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बुढेर तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 56/55 के खसरा सं0 129 की 12.684 है0, खसरा सं0 134 की 3.832 है0, खसरा सं0 174 की 2.858 है0 कुल 19.374 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी केसरा के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 32/77 के खसरा सं0 242/2 की 1.517 है0 खसरा सं0 245/2 की 1.517 है0 कुल 3.034 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में भी प्रतिवादी केसरा के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है के वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16·5·18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़